

FORM No. III


फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत..... उपखण्ड अधिकारी मुकाम..... मण्डावर

..... नानगराम वनाम..... रामपूल

किस्म मुकदमा..... नं. 195/21 सन्.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	<p>इससे ऐसा प्रतिक होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है एवं वह इसे आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः वाद को इसी स्तर पर वादी की अहम-हाजरी अहम-पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फुल्ल शुभार नम्बर से कम की जाकर वाद तत्काल दायिल दफ्तर हो</p> <p> उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (पीसा)</p>	